

6 1/2

पत्रावली पेश हुई | वकील डा. जी. ड. 1  
 ए. अपाठीगण से. 2, 3, 4 की तारीख पूर्व में  
 ही पुकी है। भावाज विलार गयी गोर धादि  
 अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही  
 के आदेश जारी किए जाते हैं।  
 वकील डा. जी. ड. 1 को पक्षीय पक्ष मुनी गयी।  
 पत्रावली को अवलोकन किया गया।

अतः आदेश पत्र धारा 111-128 स्वीकार  
 किया जाता है। विस्तृत आदेश पुस्तक से  
 सिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किना गया।  
 पत्रावली फंसल सुमार दोकर नाम्बर ले कर दे।

उपरखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर : 04.09.2020

प्रकरण संख्या : 50/2020

अनवान

केलिया पिता मांगीया जाति खटीक उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।  
..... प्रार्थी

बनाम

01. द्वारिका बाई पत्नि चुन्नीलाल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी जगपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. कल्याण सिंह पिता सौदान सिंह राव जाति राव उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. रतन सिंह पिता भोपाल सिंह जाति राव उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. उदा पिता गोमा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।  
..... विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 6/1/2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी केलिया पिता मांगीया जाति खटीक उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 105, 106, 107, 109, 110, 112/1, 379/99 कुल किता 7 रकबा 7-01 बीघा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075- 2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 105, 106, 107, 109, 110, 112/1, 379/99 कुल किता 7 रकबा 7-01 बीघा भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां भीलवाड़ा